

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश) संख्या-2983/2022

पीएस मामला सं० 23 वर्ष-2018 थाना-सरकारी आधिकारिक निगम। जिला-पश्चिम चंपारण से उत्पन्न

=====

लक्ष्मण शर्मा, पुत्र- हीरा शर्मा निवासी- ग्राम- शीतलपुर, थाना -रक्सौल, जिला-पूर्वी चंपारण

..... अपीलार्थी/अपीलार्थीगण

बनाम्

भारत संघ द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना, बिहार

..... प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

=====

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ धारा 20 (b) (ii) (c) और 29-सह-अभियुक्त के कब्जे से 4.500 किलोग्राम चरस की बरामदगी - सह अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया। (पैरा-11)

साक्ष्य अधिनियम- धारा 25, एन. डी. पी. एस. अधिनियम- धारा 67-पुलिस को दिया गया इकबालिया बयान और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है-धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयान का उपयोग एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में नहीं किया जा सकता है। तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य:(2021) 4 एस. सी. सी. 1 - भरोसा किया गया (पैरा-13)

धारा 67 के तहत बयान पूरी तरह से अस्वीकार्य-एन. सी. बी. अधिकारी आगे सबूत इकट्ठा करने में सफल नहीं हुए -निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए गलत तरीके से बयान पर भरोसा किया-इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूरी तरह से अवैध और टिकाऊ नहीं-निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार कर दिया गया-अपील की अनुमति दी गई।(पैरा-18)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश) संख्या-2983/2022

पीएस मामला सं० 23 वर्ष-2018 थाना-सरकारी आधिकारिक निगम। जिला-पश्चिम चंपारण से उत्पन्न

=====

लक्ष्मण शर्मा, पुत्र- हीरा शर्मा निवासी- ग्राम- शीतलपुर, थाना -रक्सौल, जिला-पूर्वी चंपारण

..... अपीलार्थी/अपीलार्थीगण

बनाम्

भारत संघ द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना, बिहार

..... प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्रीमती बेला सिंह, अधिवक्ता।

यू.ओ.आई.(एन.सी.बी.) के लिए : श्री अवधेश के. पांडे, सीनियर सी. जी. सी।

श्री राम अनुराग सिंह, सी. जी. सी.

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

तारीख: 08-02-2024

1. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील एन. सी. बी. के माध्यम से यू. ओ. आई. के लिए उपस्थित होने वाले एपीपी को सुना।

2. नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट इसके बाद एन.डी.पी.एस अधिनियम रूप में/संदर्भित की धारा 20 (बी) (II) (सी) और 29 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, के संबंध में विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, पश्चिम

चंपारण, बेतिया द्वारा एन.डी.पी.एस के सं० 63/2021, एन.सी.बी. केस सं० 23/2018 (विशेष केस सं० 18/2018) के संबंध में पारित दोषी ठहराए जाने के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ तत्काल अपील दायर की गई है, जिसके तहत और जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत रुपये के 1,00,000 रुपये जुर्माने के साथ दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, उसे एक साल के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 1,00,000 रुपये जुर्माने के साथ दस साल के लिए कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है और जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, उसे एक साल के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और कारावास की दोनों सजाओं को दोषी ठहराने वाली निचली अदालत द्वारा एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

3. अभियोजन पक्ष के आरोप का सार यह है कि 02.05.2018 को पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (संक्षेप में एन. सी. बी.), पटना के सहायक निदेशक श्री सुनील दुबे को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को एस. एस. बी. अधिकारियों द्वारा 4,500 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा गया है, फिर एन. सी. बी. के अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया जिसमें खुफिया अधिकारी ए. के. प्रसाद, अशोक कुमार राय और एक सिपाही मनोज कुमार यादव थे जो टीम का हिस्सा थे और उसी दिन शाम करीब 5 बजे टीम ने ड्रग डिटेक्शन किट जैसी प्रासंगिक सामग्री के साथ अपनी यात्रा शुरू की और एनर्व पहुंची। जहां 47 वीं एसएसबी बटालियन को प्रतिनियुक्त किया गया था और उसके बाद, एन. सी. बी. की टीम ने एसएसबी के सहायक कमांडेंट श्री राज कुमार कुमावत से मुलाकात की और जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री बरामद की और सहायक कमांडेंट ने उनके दिनांक 03.05.2018 पत्र के माध्यम से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की

तलाशी और जब्ती की सारी जानकारी दी। जिसे एन. सी. बी. को भेजा गया था। उनके पत्र के अनुसार, एसएसबी के कार्यालय को जानकारी मिली कि एक व्यक्ति नेपाल देश से आ रहा है और मादक पदार्थ चरस के साथ भारत के क्षेत्र में प्रवेश करेगा और फिर त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू.आर.टी) एसएसबी अधिकारियों द्वारा गठित किया गया था जिसका नेतृत्व वरिष्ठ राज कुमार कुमावत द्वारा किया था और उक्त दल ने नेपाल की ओर से दो व्यक्तियों को सीमा स्तंभ संख्या 4/3 के पास आते देखा था। तब एसएसबी अधिकारियों ने उन्हें रुकने के लिए कहा लेकिन वे भागने लगे और फिर उनमें से एक को पीछा करते हुए पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम संजय महतो केवट बताया और दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा और उसके बाद, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत संजय महतो केवट को नोटिस दिया गया और उस पर, उन्होंने एसएसबी अधिकारियों के सामने तलाशी लेने के लिए अपनी सहमति दी और उसके बाद, दो स्वतंत्र व्यक्तियों प्रेम कुमार यादव और सुशील यादव की उपस्थिति में, गिरफ्तारी के समय उनके पास एक बैग था, जिसकी तलाशी ली गई, जिसमें से 4.500 किलो चरस जैसी सामग्री बरामद की गई और उसके बाद गिरफ्तार आरोपी संजय महतो केवट के साथ जब्त मादक पदार्थ को एन. सी. बी. के अधिकारियों को सौंप दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि एक प्लास्टिक बैग में रखे भूरे रंग के टेप से लिपटे नौ (9) पैकेट पकड़े गए आरोपी के कब्जे से बरामद किए गए और उसके बाद, सी.आर. के नमूने के रूप में प्रत्येक पैकेट से कुछ छोटी मात्रा ली गई। जिसकी पहचान किट की मदद से जांच की गई और फिर जब्त की गई सामग्री की चरस के रूप में पुष्टि की गई और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का कुल वजन 4.500 किलोग्राम मापा गया। उसके बाद, पैकेटों और नमूनों को अलग-अलग पैकेटों में रखा गया, जिन्हें दो स्वतंत्र गवाहों प्रेम कुमार यादव और सुशील यादव की उपस्थिति में सील कर दिया गया और इन सभी कार्यवाही को मौके पर 03.05.2018 पर पूरा किया गया। यह भी पता चला कि एन. सी. बी. अधिकारियों द्वारा

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत पकड़े गए सह-अभियुक्तों के बयान के साथ स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, यह पता चला कि जब्त मादक पदार्थ वर्तमान अपीलार्थी को दिया जाना था। यह आगे पता चला कि अपीलार्थी को 18.09.2021 को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत भी उनका बयान दर्ज किया गया।

4. उपरोक्त आरोपों के साथ, एन. सी. बी. के एक खुफिया अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता और सह-आरोपी संजय महतो केवट के खिलाफ एन. सी. बी. द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी। अपीलार्थी पर सह-अभियुक्त से अलग मुकदमा चलाया गया क्योंकि कथित प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के लगभग तीन साल बाद उसे गिरफ्तार किया गया था।

5. अपीलार्थी पर एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी), 23 और 29 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था।

6. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष द्वारा कुल सात गवाहों को पेश किया गया और उनसे पूछताछ की गई और कई दस्तावेज पेश किए गए और साबित किए गए और उन्हें प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया जो निम्नानुसार हैं:

प्रदर्श 1-एन. सी. बी. द्वारा बनाया गया खोज-सह-ज़बती ज़ापन।

प्रदर्श 2-एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपी संजय महतो केवट को नोटिस।

प्रदर्श 2/1 और 2/2-एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत प्रेम कुमार यादव और सुशील यादव गवाहों को नोटिस।

प्रदर्श 2/3 और 2/4-एन. डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत लक्ष्मण शर्मा (अपीलार्थी) को नोटिस।

प्रदर्श 3-एन. डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपी संजय महतो केवट का बयान।

प्रदर्श 3/1-पूरे बयान पर एक ए. के. राय का हस्ताक्षर।

प्रदर्श 4-आरोपी संजय महतो केवट की जामा तलासी।

प्रदर्श 5-आरोपी संजय महतो केवट की गिरफ्तारी का ज्ञापन।

प्रदर्श. 6-मलखान की रसीद।

प्रदर्श 7-रासायनिक परीक्षण के लिए नमूनों को अग्रेषित करना।

प्रदर्श 8-परीक्षण ज्ञापन।

प्रदर्श 9-सी.आर.सी.एल कोलकाता की रिपोर्ट।

प्रदर्श 10-एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 57 के तहत अनुपालन।

प्रदर्श 11-शिकायत याचिका।

प्रदर्श 12-अभियुक्त को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत तलाशी के लिए नोटिस जारी किया गया।

प्रदर्श 13-व्यक्तिगत खोज ज्ञापन।

प्रदर्श 14-अभिग्रहण का प्रदर्शन।

प्रदर्श 15-अवरोधित वस्तुओं का प्रदर्शन।

प्रदर्श 16-अवरोधन ज्ञापन।

प्रदर्श 17-जब्ती प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की सूची।

प्रदर्श 18-एन. सी. बी., पटना के निदेशक को लिखित याचिका।

प्रदर्श 19-अभियुक्त की चिकित्सीय रिपोर्ट।

प्रदर्श 20-व्यक्तिगत-सह-खोज ज्ञापन पर गवाह प्रेम कुमार यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/1-तलाशी के लिए नोटिस पर गवाह प्रेम कुमार यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/2-अवरोधन ज्ञापन पर गवाह प्रेम कुमार यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/3-एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस पर गवाह प्रेम कुमार यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/4-तलाशी-सह-जब्ती सूची में गवाह प्रेम कुमार यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/5-एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत नोटिस पर गवाह प्रेम कुमार यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/6-गवाहों के बयानों पर गवाह प्रेम कुमार यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/7-गिरफ्तारी ज्ञापन पर गवाह का हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/8-जामा तलाशी पर गवाह प्रेम कुमार यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/9-व्यक्तिगत खोज ज्ञापन पर गवाह सुशील यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/10-तलाशी के लिए नोटिस पर गवाह सुशील यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/11-अवरोधन ज्ञापन पर गवाह सुशील यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/12-एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस पर गवाह सुशील यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/13-तलाशी-सह-जब्ती सूची में गवाह सुशील यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/14-एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत नोटिस पर गवाह सुशील यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/15-बयान पर गवाह सुशील यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/16-गिरफ्तारी पर गवाह सुशील यादव के हस्ताक्षर मेमो।

प्रदर्श 20/17-जामा पर गवाह सुशील यादव के हस्ताक्षर तालाशी।

प्रदर्श 20/18-तलाशी-सह-जब्ती सूची में गवाह ए. के. राय के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 20/19-अभियुक्त संजय महतो केवट के बयान पर गवाह ए. के. राय के हस्ताक्षर।

प्रदर्श 21-एन. सी. बी., पटना का मलखाना रजिस्टर।

प्रदर्श 22-जब्त की गई सामग्री का प्रमाणन और तस्वीरें।

प्रदर्श 23-अपीलार्थी लक्ष्मण शर्मा का वक्तव्य।

7. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के बाद, दोषी का बयान द०प्र०सं० की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से अपने खिलाफ दिखाई देने वाली सभी मुख्य परिस्थितियों से इनकार किया और उसने मुख्य रूप से बचाव किया कि वह एक निर्दोष व्यक्ति था।

8. अपीलार्थी ने अपनी रक्षा में कोई सबूत नहीं दिया।

9. दोनों पक्षों को सुनने और विभिन्न प्रदर्शनों को ध्यान में रखने के बाद, विद्वत निचली अदालत ने अपीलार्थी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) सी और 29 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया और उसे ऊपर उल्लिखित तरीके से सजा सुनाई।

10. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्रीमती बेला सिंह ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि कानून की नजर में पूरी तरह से गलत है क्योंकि अपीलार्थी को कथित निषिद्ध पदार्थ के साथ नहीं पकड़ा गया था और उसे मुख्य रूप से गिरफ्तार सह-अभियुक्त संजय महतो केवट के इकबालिया बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया था, जिसने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत अपना बयान दर्ज किया था और विद्वत निचली अदालत ने तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु (2021) 4 एस.सी.सी. 1 में प्रतिवेदित के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत की अनदेखी करते हुए उक्त बयान पर भरोसा किया था। आगे प्रस्तुतिकरण यह है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए कोई कानूनी साक्ष्य नहीं है।

11. इसके विपरीत, एन. सी. बी. के माध्यम से यू. ओ. आई. की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री अवधेश कुमार पांडे ने अपील का जोरदार विरोध किया और कहा कि अपीलकर्ता नेपाल देश से भारतीय क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था और जब्त की गई मादक पदार्थ जो वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आती हैं, उसे पकड़े गए सह-आरोपी संजय महतो केवट द्वारा दिए गए बयान के अनुसार अपीलकर्ता को दिया जाना था और अपीलकर्ता कथित निषिद्ध पदार्थ की बरामदगी के बाद तीन साल से अधिक समय तक फरार रहा, लेकिन किसी भी तरह उसे 18.09.2021 पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद, उसे उसके अधिकार क्षेत्र में लाया गया। मुकदमा शुरू किया गया और उन्होंने खुद सी. आर. के समक्ष कथित अपराध में एन.सी.बी के अधिकारियों के

समक्ष अपनी संलिप्तता स्वीकार की। और इस संबंध में, उनका बयान दर्ज किया गया जो निचली अदालत के समक्ष साबित हुआ और अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए, विद्वत निचली अदालत ने राम सिंह बनाम केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो (2011) 11 एस. सी. सी. 347 के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

12. दोनों पक्षों को सुना, विवादित फैसले और निचली अदालत के मामले के रिकॉर्ड में उपलब्ध सबूतों का अध्ययन किया और आरोपी के बयान का भी अध्ययन किया। तत्काल अपील 4.500 किलोग्राम चरस की बरामदगी से संबंधित है जो सह-आरोपी संजय महतो केवट के कब्जे से बरामद की गई थी। यह बरामदगी एसएसबी अधिकारियों द्वारा की गई थी, लेकिन यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी को सह-अभियुक्त संजय महतो केवट के साथ नहीं पकड़ा गया था और उसे सह-अभियुक्त संजय महतो केवट की गिरफ्तारी के तीन साल से अधिक समय बाद कथित प्रतिबंधित पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था। नेपाल देश से भारत के क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के कथित अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता के संबंध में, अभियोजन पक्ष ने शुरू में पकड़े गए सह-आरोपी संजय महतो केवट के बयान पर भरोसा किया, जिन्होंने एन. सी. बी. अधिकारियों के समक्ष अपना बयान दर्ज किया और उनका बयान एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया और उसके बाद, अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनका बयान भी एन. सी. बी. अधिकारियों द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया।

13. यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी और सह-अपराधी के अपने बयानों में खुलासा किए गए तथ्यों के प्रकाश में, एन.सी.बी. के अधिकारीगण कोई भी प्रासंगिक तथ्य या साक्ष्य का खुलासा करवाने में सफल नहीं हुए, जिससे मादक पदार्थ की तस्करी के कथित अपराध में अपीलार्थी की सहभागिता दिखायी जाए सके। माननीय

सर्वोच्च न्यायालय ने **तूफान सिंह (उपरोक्त)** के मामले में परित किए गए अपने अभूतपूर्व निर्णय में एन.डी.पी.एस की धारा 67 के अन्तर्गत दर्ज किए गए बयान की वैधता और अनुमान्यता की जाँच की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिकारी जिस एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 53 के तहत इन शक्तियों को प्रदत्त किया गया है, *साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के अन्तर्गत "पुलिस अधिकारी"*, जिसके परिणामस्वरूप उनके समक्ष दिया गया *इकबालिया बयान* *साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्जित है और आपराधी को एन.डी.पी.एस अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध करने के लिए नहीं लिया जा सकता है। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 67 के अन्तर्गत दर्ज किया गया बयान एन.डी.पी.एस अधिनियम के तहत अपराध के मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।*

14. **बलविंदर सिंह (बिंदा) बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1213** में प्रतिवेदित मामले में परित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में **तोफान सिंह (ऊपर)** मामले में निर्धारित सिद्धांत का पालन किया गया है और यह देखा गया है कि अधिकारी जिसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं को एक आरोपी द्वारा दिया गया कोई भी *इकबालिया बयान* इस कारण से वर्जित है कि ऐसे अधिकारी *साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के अन्तर्गत "पुलिस अधिकारी"* हैं, एक आरोपी द्वारा दिया गया बयान और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया बयान एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के मुकदमे में *इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।*

15. तर्क के दौरान, एन. सी. बी. की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि एन. सी. बी. के अधिकारी, जिन्होंने अभियुक्त का बयान दर्ज किया, जब्ती ज़ापन बनाया और अन्य कार्यवाही की, उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत शक्तियों के साथ निवेश किया गया था, इसलिए उक्त स्थिति को देखते हुए, एन. सी. बी. के खुफिया अधिकारी अनिल कुमार प्रसाद और एन. सी. बी. के कनिष्ठ खुफिया अधिकारी **प्राण कुमार**, जिन्होंने आरोपी संजय महतो केवट और अपीलकर्ता के बयान दर्ज किए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर पुलिस अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे थे। इस प्रकार, अपीलार्थी और उनके द्वारा दर्ज सह-अभियुक्त के बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों से प्रभावित होते हैं और अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

16. तदनुसार, एन. सी. बी. अधिकारियों द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए इस अपीलार्थी और सह-अभियुक्त संजय महतो केवट के बयान कानून की नजर में पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और विद्वत निचली अदालत ने **राम सिंह बनाम केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो (2011) 11 में एस.सी.सी. 347 में** प्रतिवेदित के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर गलत तरीके से भरोसा किया है, जैसा कि **कन्हैयालाल बनाम भारत संघ [(2008) 4 एस. सी. सी. 668]** और **राज कुमार करवाल बनाम भारत संघ [(1990) 2 एस. सी. सी. 409]** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पारित किया गया। जिनका उक्त निर्णय में पालन किया गया था और जिन पर भरोसा किया गया था, उन्हें तोफान सिंह (उपरोक्त) के मामले में पारित निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

17. यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कथित प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी दो व्यक्तियों प्रेम कुमार यादव और सुशील यादव के सामने की गई थी, जिन्हें

जब्तौ ज़ापन का गवाह बनाया गया था और कहा जाता है कि वे स्वतंत्र व्यक्ति हैं। दोनों व्यक्तियों से पी. डब्ल्यू. 3 और पी. डब्ल्यू. 4 के रूप में पूछताछ की गई थी, लेकिन जिरह में उन्होंने कहा कि मामले संबंधित कोई भी सामग्री। उनके सामने बरामद नहीं किया गया था। हालांकि दोनों गवाहों ने गिरफ्तारी ज़ापन, तलाशी ज़ापन और एन. सी. बी. द्वारा तैयार किए गए अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सभी दस्तावेज बहुत पहले तैयार किए गए थे और उन्होंने केवल उन पर हस्ताक्षर किए थे और उन्हें इन दस्तावेजों की सामग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तदनुसार, दोनों महत्वपूर्ण गवाहों का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाता है और यह अभियोजन पक्ष के मामले को भी कमजोर बनाता है।

18. उपलब्ध साक्ष्यों और सामग्री की उपरोक्त चर्चा के बाद, यह अदालत यह राय बनाती है कि विद्वत निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए एन. सी. बी. के खुफिया अधिकारियों द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज अपीलार्थी और सह-अभियुक्त के बयान पर गलत तरीके से भरोसा किया क्योंकि उक्त बयान पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों से प्रभावित हैं और वर्तमान मामले की जांच करने वाले एन. सी. बी. के अधिकारी तस्करी के कथित अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता को दर्शाने वाले उक्त बयानों के आधार पर कोई और सबूत इकट्ठा करने में सफल नहीं हुए। इसलिए आरोपित अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूरी तरह से अवैध है और कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है इस तरह आरोपित अपराधों के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए सुनाई गई सजा के निर्णय और आक्षेपित आदेश को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है और वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाता है।

19. अपीलार्थी/लक्ष्मण शर्मा न्यायिक हिरासत में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है तो उसे वर्तमान मामले में तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

20. निर्णय की प्रति को आवश्यक अनुपालन और जानकारी के लिए निचली अदालत के साथ-साथ संबंधित जेल प्राधिकरण को तुरंत भेजा जाए।

21. एल. सी. आर. को संबंधित निचली अदालत में तुरंत वापस भेजा जाए।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

वार्षिकी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।